

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/बजट/2016-17/ दिनांक: 22 08-2016
5706-3

विषय:- ए0एम0सी0 हेतु आवंटित बजट के अन्तर्गत व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2016-17 (ROP Ref. no. 10(15)/2016-NRHM-I Dated 08-08-2016) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24.08.2016 के एजेण्डा मद संख्या 87.56 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अन्तर्गत एफएमआर कोड B15.3.2.5- AMC of Computer / Printer / UPS में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

"Approved Rs. 74.14 Lakh for AMC @ Rs. 4,000/- per year per computer/printer/UPS for 1,771 equipments (820 Block MCTS +823 Block HMIS+ 128 DH) and @ Rs. 4,400/- per year per computer/printer/ UPS for 75 DPM Units. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS&D rate contract or after competitive bidding following Government protocols. State must ensure that these equipments are not covered by post-sale warranty/guarantee."

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 820 Block MCTS computers.
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 823 Block HMIS computers.
- AMC @ Rs. 4,000.00 per year per computer basis for 128 District Hospital HMIS computers.
- AMC @ Rs. 4,400.00 per year per computer basis for 75 DPMU computers.
- ब्लॉक एवं जिला स्वास्थ्य इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 हेतु रु0 4000.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार स्वास्थ्य इकाइयों में स्थापित 1771 (820 Block MCTS +823 Block HMIS+ 128 DH) कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार स्तर से जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों हेतु स्वीकृत कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 हेतु रु0 4,400.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में स्थापित 01 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
- जनपद में आपूर्तित सभी कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 का अनुबन्ध करने से पूर्व स्थानीय एजेन्सियों से कोटेशन आमंत्रित किये जायें तथा नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए

डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टीवाइरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जानी है। वार्षिक रखरखाव के अर्न्तगत कंज्यूमेबिल, प्लास्टिक पार्टस् टोनर इत्यादि शामिल नहीं होते हैं तथा अन्य सभी स्पेयर्स शामिल किये जाते हैं।

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B.15.3.2.5 : AMC OF COMPUTER/PRINTER/UPS (01-04-16 to 31-03-2017)

Sl No	Districts	No. of Block	DC H	DM H	DW H	Total units	No. of Block level MCTS computers FY 2016-17	Total No. of Computer System	For AMC of computers, printers and UPS @ Rs 4000	For AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS @ Rs 4400	Total amount for AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS in Rupees.
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9= Col (7+8)	10=Col.09 x Rs.4,000	11	12 (10+11)
1	Agra	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	132400
2	Aligarh	12	1	1	1	15	12	27	108000	4400	112400
3	Allahabad	20	-	2	1	23	20	43	172000	4400	176400
4	Ambedkar Nagar	9	1	-	-	10	9	19	76000	4400	80400
5	Amethi(CSJM)	13	0	0	0	13	13	26	104000	4400	108400
6	Amroha(JP Nagar)	6	-	-	-	6	6	12	48000	4400	52400
7	Auraiya	7	-	-	-	7	7	14	56000	4400	60400
8	Azamgarh	22	-	1	1	24	22	46	184000	4400	188400
9	Bagpat	6	-	-	-	6	6	12	48000	4400	52400
10	Bahraich	14	-	1	1	16	14	30	120000	4400	124400
11	Ballia	17	-	1	1	19	17	36	144000	4400	148400
12	Balrampur	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	84400
13	Banda	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	76400
14	Barabanki	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	132400
15	Bareilly	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	132400
16	Basti	14	-	1	1	16	14	30	120000	4400	124400
17	Bijnor	11	1	-	1	13	11	24	96000	4400	100400
18	Budaun	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	132400
19	Bulandshahar	16	1	1	1	19	16	35	140000	4400	144400
20	Chandauli	9	-	1	-	10	9	19	76000	4400	80400
21	Chitrakoot	5	1	-	-	6	5	11	44000	4400	48400
22	Deoria	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	140400
23	Etah	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	76400
24	Etawah	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	76400
25	Faizabad	11	-	1	1	13	11	24	96000	4400	100400
26	Farrukhabad	7	-	1	1	9	7	16	64000	4400	68400
27	Fatehpur	13	-	1	1	15	13	28	112000	4400	116400
28	Firozabad	9	1	1	1	12	9	21	84000	4400	88400
29	G B Nagar (Noida)	4	1	-	-	5	4	9	36000	4400	40400
30	Ghaziabad	4	1	1	1	7	4	11	44000	4400	48400

Sl No	Districts	No. of Block	DC H	DM H	DW H	Total units	No. of Block level MCTS computers FY 2016-17	Total No. of Computer System	For AMC of computer, printers and UPS @ Rs 4000	For AMC of DPMU MIS computer, printers and UPS @ Rs 4400	Total amount for AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS in Rupees.
		No. of old HMIS computers, Printer and UPS FY 2016-17									
31	Ghazipur	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	140400
32	Gonda	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	140400
33	Gorakhpur	19	-	1	1	21	19	40	160000	4400	164400
34	Hamirpur	7	-	1	1	9	7	16	64000	4400	68400
35	Hapur	4	0	0	0	4	4	8	32000	4400	36400
36	Hardoi	19	-	1	1	21	19	40	160000	4400	164400
37	Hathras	7	1	-	1	9	7	16	64000	4400	68400
38	Jalaun	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	84400
39	Jaunpur	21	-	1	1	23	21	44	176000	4400	180400
40	Jhansi	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	76400
41	Kannauj	8	1	-	-	9	8	17	68000	4400	72400
42	Kanpur Dehat	10	1	-	-	11	10	21	84000	4400	88400
43	Kanpur Nagar	10	-	2	1	13	10	23	92000	4400	96400
44	Kashganj (KR Nagar)	7	-	1	-	8	7	15	60000	4400	64400
45	Kaushambi	8	1	-	-	9	8	17	68000	4400	72400
46	Kushinagar(Padma)	14	1	-	-	15	14	29	116000	4400	120400
47	Lakhimpur Kheri	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	132400
48	Lalitpur	6	-	1	1	8	6	14	56000	4400	60400
49	Lucknow* (+3)	11	1	1	2	15	8	23	92000	4400	96400
50	Maharajganj	12	1	-	-	13	12	25	100000	4400	104400
51	Mahoba	4	1	-	1	6	4	10	40000	4400	44400
52	Mainpuri	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	84400
53	Mathura	10	-	1	1	12	10	22	88000	4400	92400
54	Mau	9	1	-	-	10	9	19	76000	4400	80400
55	Meerut	12	-	1	1	14	12	26	104000	4400	108400
56	Mirzapur	12	-	1	1	14	12	26	104000	4400	108400
57	Moradabad	8	-	1	1	10	8	18	72000	4400	76400
58	Muzaffar Nagar	9	-	1	1	11	9	20	80000	4400	84400
59	Pilibhit	7	-	1	1	9	7	16	64000	4400	68400
60	Pratapgarh	17	-	1	1	19	17	36	144000	4400	148400
61	Rae Bareilly	18	-	1	1	20	18	32	152000	4400	156400
62	Rampur	6	-	1	1	8	6	14	56000	4400	60400
63	Saharanpur	11	-	1	1	13	11	24	96000	4400	100400
64	Sambhal	8	-	-	-	8	8	16	64000	4400	68400
65	Sant Kabir Nagar	9	-	-	-	9	9	18	72000	4400	76400
66	Sant Ravidas Nagar	6	-	1	-	7	6	13	52000	4400	56400
67	Shahjahanpur	15	-	1	1	17	15	32	128000	4400	132400
68	Shamli	5	0	0	0	5	5	10	40000	4400	44400
69	Shrawasti	5	-	-	-	5	5	10	40000	4400	44400
70	Siddharth Nagar	14	1	-	-	15	14	29	116000	4400	120400
71	Sitapur	19	-	1	1	21	19	40	160000	4400	164400

Sl No	Districts	No. of Block	DC H	DM H	DW H	Total units	No. of Block level MCTS computers FY 2016-17	Total No. of Computer System	For AMC of computers, printers and UPS @ Rs 4000	For AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS @ Rs 4400	Total amount for AMC of DPMU MIS computers, printers and UPS in Rupees.
		No. of old HMIS computers, Printer and UPS FY 2016-17									
72	Sonbhadra	8	1	-	-	9	8	17	68000	4400	72400
73	Sultanpur	13	-	1	1	15	13	28	112000	4400	116400
74	Unnao	16	-	1	1	18	16	34	136000	4400	140400
75	Varanasi	8	-	3	1	12	8	20	80000	4400	84400
	Total	823	19	56	53	951	820	1771	7084000	3300000	74,14,000

ए०एम०सी० हेतु रु० 74,14,000.00 (रु० चौहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार जनपदीय 1,771 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० हेतु रु० 70,84,000.00 तथा जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में एम०आई०एस० अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू०पी०एस० की ए०एम०सी० हेतु रु० 3,30,000.00 अर्थात् कुल रु० 74,14,000.00 (रु० चौहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि को जनपदों को अवमुक्त किया जा रहा है।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय,

Account
(आलोक कुमार)

१८ मिशन निदेशक

पत्रांक:-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/बजट/2016-17/ तददिनांक: 5766-7

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0/समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।

Pr
(बी0के0 जैन)

१८ महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0